I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/11/2021 16:56 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/11/2021 **Time (समय):** 12:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/11/2021 16:32 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 15 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): बजघेडा गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** VIR SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 08/02/1964 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	GHATASHER, NANGAL CHAUDHRI, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	GHATASHER, NANGAL CHAUDHRI, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9812994267

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	तत्कालीन सरपंच बीर सिह		Father's Name: प्यारे लाल	1. जे-1084,पालम विहार गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री ऋषिरोश		Father's Name: प्यारे लाल	1. गांव बजघेडा गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	श्रीमती रेणुका मिश्रा			1. 6/25 बसंत विहार नई दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA
4	श्री प्रकश अग्रवाल		Father's Name: श्री जे0सी0 अग्रवाल	1. 6/25 बसंत विहार नई दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम । श्री मान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 06 दिनांक 19.07.2018 गुरुग्राम की पडताल निरीक्षक वीर सिह रा0 चौ0 ब्यू0 गुरुग्राम द्वारा पूर्ण की गई है । जांच मे यह आरोप था कि ‘’गांव बजघेडा के तत्कालीन सरपंच बीर सिह (बीरु) द्वारा बिना डिमाण्ड पंचायती जमीन 80 कनाल शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट D-6/25 बसन्त विहार नई दिल्ली मार्फत राजबीर पुत्र बनेसिह निवासी बिजवासन देहली को स्कूल बनाने के लिए देने बारे तथा शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट से मिली भगत करके दिनांक 27.05.2002 को शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट के नाम 80 कनाल जमीन की रजिस्ट्री करा दी । फिर स्कूल बना नही और वही जमीन शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट द्वारा मिली भगत करके वीरु सरपंच के भाई ऋशिरोश पुत्र प्यारे लाल निवासी बजघेडा के नाम दिनांक 28.03.2007 को रजिस्ट्री करा दी । इस सम्बन्ध मे शिकायते चली जिनकी जांच उपायुक्त व आयुक्त गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम द्वारा विभिन्न समय पर की गई थी । उसके बाद इस विषय मे तत्कालीन फाईनैंस कमीशनर हरियाणा, श्री अनुराग रस्तोगी भा0प्र0से0 द्वारा जांच की गई । आयुक्त गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम द्वारा फाईनैंस कमीशनर हरियाणा के आदेशो के विपरीत कार्य किये जाने बारे आरोप है ’’ जांच अधिकारी द्वारा आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बजघेडा ने शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट, न्यू विहार नई दिल्ली की औपचारिक मांग पर ग्राम बजघेडा की पंचायती 10 एकड जमीन बेचने बारे प्रस्ताव न0 1 दिनांक 01.12.2000 पास करके खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा उपायुक्त गुरुग्राम के माध्यम से स्वीकृती बारे संरकार को भेजा गया था जिस रेजुलेशन मे 5 शर्ते लगाई गई (1) जमीन कि कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जावे । (2) संस्था कि संचालन समिति होगी उसके ग्राम के सदस्यो की भागीदारी होगी । (3) शिक्षा संस्थान मे जो बच्चे दाखिल होगे गांव के बच्चो के लिए 2 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी । (4) इस संस्था के लिए तृतीय व चर्तुथ श्रेणियो के पदो पर गांव बजघेडा के लडके नियुक्त होगे । (5) संस्था मे कोई लाभ होगा तो 20 प्रतिशत राशि गांव के विकास कार्यो मे लगानी होगी । यदि संस्था उपरोक्त शर्तो का पालन नही करेगी तो पंचायत इस भूमि को देने मे असमर्थ होगी । सरकार द्वारा आदेश पृ0 क्रमांक S-1-2001/20801-04 दिनांक 07.05.2001 द्वारा पंचायत की जमीन शंकर शिक्षा ट्रस्ट को बेचने के लिए चार शर्तो के साथ मन्जूरी प्रदान की । शर्ते निम्न अनुसार है :- (i) प्रस्तावित जमीन की कीमत उपायुक्त गुरुग्राम द्वारा निर्धारित की जावेगी । (ii) ट्रस्ट को एक मुश्त रकम ग्राम पंचायत के फण्ड मे रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवानी होगी । (iii) यदि प्रस्तावित जमीन मे कोई पेड या बिल्डिग होगी तो ग्राम पंचायत ट्रस्ट के सौपने से पहले डिस्पोज करेगी । (iv) ट्रस्ट को स्कूल भवन का निर्माण 2 वर्ष के अन्दर करवाना होगा । उपायुक्त गुरुग्राम के

पत्र दिनांक 29.08.2001 के अनुसार पंचायत की 72 कनाल भूमि जो बंजर दर्ज है कि कीमत कलैक्टर रेट के अनुसार 8 लाख 75000/- रु0 प्रति एकड व 8 कनाल की कीमत 10 लाख प्रति एकड निर्धारित की गई प्रस्तावित भूमि का कलैक्टर रेट के अनुसार 80 कनाल की कुल कीमत 88 लाख 75 हजार रुपये बनती है । सरकार की शर्तो के साथ जमीन बेचने की स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्तावित जमीन 10 एकड खसरा न0 36/3,4,5,6,7,8,9,10,12,व 13 की रजिस्ट्री शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट के नाम करवाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव न0 6 दिनांक 26.05.2002 के अनुसार सरपंच बीर सिह को अधिकार दिया गया और ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि का बैयनामा न0 2759 दिनांक 27.05.2002 के अनुसार शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट के नाम करवा दी गई व शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट द्वारा 88 लाथ 75000/- रु0 स्टाम्प डयूटी सहित HDFC Bank Draft के द्वारा पंचायत फण्ड मे जमा करवा दिये गये । शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट ग्राम पंचायत के द्वारा स्कूल के लिये रास्ता न देने पर ट्रस्ट द्वारा निदेशक, चकबन्दी हरियाणा, चण्डीगढ को अपील की गई और उक्त अपील पर निदेशक , चकबन्दी हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा फैसला लिया गया कि दोनो पक्षो की सहमति पर किला न0 36/3 से 6/16 हिस्सा जमीन पंचायत को देकर व किला न0 36/15 से 6/16 हिस्सा जमीन का लेकर अपना रास्ता ले सकते है । उपरोक्त अपील के सम्बन्ध मे पंचायत द्वारा या ट्रस्ट द्वारा सरकार की अनुमति के बिना जमीन की अदला बदली नही की जा सकती और दोनो पक्षो मे से कोई भी पक्ष जमीन की अदला बदली के लिए सरकार के पास जाना नही पाया गया । सरकार की शर्त न0 4 व बैयनामा के पैरा न0 10 के अनुसार पंचायत भूमि का बैयनामा रजिस्ट्रड होने के 2 साल के अन्दर स्कूल भवन/शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना था, परन्तु ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि मे शर्त का पालन नही किया गया । जिस पर पंचायत द्वारा प्रस्ताव न0 3दिनांक 01.12.2005 के अनुसार सरपंच को मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया था और दिनांक 29.12.2005 को श्रीमति कृष्णा देवी सरपंच गांव बजघेडा द्वारा ट्रस्ट से जमीन वापिस लेने के लिए कलैक्टर, गुरुग्राम के सम्मुख अपील दायर की गई । शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट ने सरकार की शर्त न0 4 को ना मानते हुये उक्त जमीन ऋषिरोश गांव बजघेडा को बैय कर दी ट्रस्ट द्वारा अवगत करवाया गया है कि काफी समय बीतने के बाद भी रास्ता ना मिलने के कारण स्कूल का निर्माण नही किया जा सका और ट्रस्ट ने यह जमीन ऋषिरोश गांव बजघेडा को बैयनामा 27075 दिनांक 28.03.2007 व इन्तकाल न0 1727 के अनुसार बैय कर दी गई । ऋषिरोश द्वारा उक्त जमीन स्टाम्प डियूटी सहित 1 करोड रुप्ये मे खरीद की गई और उपरोक्त राशि का भुगतान विभिन्न बैको के चैको द्वारा ट्रस्ट को किया गया । यह बयनामा श्री प्रकाश अग्रवाल ट्रस्टी शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट द्वारा कराया गया है । पंचायत द्वारा दिनांक 29.12.2005 को कलेक्टर गुरुग्राम को गई अपील के आधार पर कलैक्टर गुरुग्राम ने दिनांक 18.03.2008 को पंचायत द्वारा ट्रस्ट के नाम दिनांक 27.05.2002 को बैय करवाई गई जमीन मे हुये इन्तकाल न0 1249 व ट्रस्ट द्वारा ऋषिरोश के नाम दिनांक 28.03.2007 को बैयकरवाई गई जमीन के सम्बन्ध मे हुये इन्तकाल न0 1727 को रदद कर दिया । उक्त आदेशो के विरुद्ध शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट द्वारा दिनांक 16.04.2008 को आयुक्त गुरुग्राम को पंजाब विलेज कामन लैण्ड एक्ट 1961 की धारा 13 ई के अन्तर्गत अपील दायर की गई परन्तु आयुक्त गुरुग्राम द्वारा दिनांक 14.12.2008 कलैक्टर के आदेश मे किसी भी प्रकार के संसोधन की आवशयकता न समझते हुये तथा अपील आधारहीन होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया । श्री ऋषिरोश उपरोक्त ने कलैक्टर गुरुग्राम द्वारा दिनांक 18.03.2008 के विरुद्ध वित्तायुक्त हरियाणा चण्डीगढ के सम्मुख अपील की जिस को वित्तायुक्त हरियाणा चण्डीगढ द्वारा खारिज कर दिया गया । ऋषिरोश उपरोक्त गांव बजघेडा ने कलैक्टर गुरुग्राम द्वारा दिनांक 18.03.2008 को दिये गये फैसले के विरुद्ध आयुक्त गुरुग्राम डाक्टर डी0 सुरेश के सम्मुख अपील की जिस पर आयुक्त गुरुग्राम डा0 डी0 सुरेश के आदेश दिनांक 04.08.2016 को कलेक्टर के फैसले को रदद किया व ऋषिरोश के हक मे फैसला दिया । जिस पर ग्राम पंचायत बजघेडा द्वारा आयुक्त गुरुग्राम के आदेश के विरुद्ध वितायुक्त हरियाणा चण्डीगढ के सम्मुख अपील की गई और वित आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ द्वारा आयुक्त गुरुग्राम के आदेश दिनांक 04.08.2016 को अपने आदेश दिनांक 24.01.2018 के अनुसार रदद कर दिया गया । प्रधान सचिव हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2018 को दिये गये आदेश मे पंचायत द्वारा पास रेजुलेशन व सरकार द्वारा दी गई अनुमति को रदद करके पंचायत को जमीन वापिस लेने का अधिकार दे दिया गया । उपरोक्त अनुसार तत्कालीन संरपंच बीरसिह ने ग्राम पंचायत बजघेडा की खसरा न0 36 कुल 10 एकड पंचायती भूमि बारे श्री शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट की बगैर लिखित मांग, ट्रस्ट बारे कोई रिकार्ड न लेना, पंचायत रेजूलेशन की शर्तो व सरकार द्वारा निरधारित शर्तो का वसिका मे विवरण न देना , श्री शंकर शिक्षा यत्ऩ ट्रस्ट के नाम पंचायती जमीन की रजिस्ट्री करा देना , निदेशक चकबन्दी हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा जारी जमीन के आदेशो के विरुद्ध अपील न करना, पंचायत का अधिकृत होने उपरान्त भी अपील दायर नहीं करना, श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन सरपंच श्री बीर सिंह के भाई श्री ऋषिरोश के नाम जमीन बेच देना तथा श्री ऋषिरोश द्वारा भी जमीन रजिस्ट्री से पहले वर्ष 2006 से जमीन की कीमत अनुसार विभिन्न बैंको के माध्यम से ट्रस्ट को भुगतान करना यह स्पष्ट करता है कि तत्कालीन सरपंच बीर सिंह पुत्र प्यारे लाल निवासी J- 1084, Palam Vihar, Gurugram, श्री ऋषिकेश पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम बडघेडा, श्रीमति रेणुका मिश्रा ट्रस्टी व श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री जे0सी0 अग्रवाल ट्रस्टी श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट 6/25 बसन्त विहार नई दिल्ली ने आपस मे मिलीभगत करके एक षडयंत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बजघेडा, गुरूग्राम की जमीन को हडपने की नियत से इस कार्य को अंजाम देने पर उनके विरूध धारा 420, 120बी भा0द0स0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके उचित माध्यम से महानिदेशक, रा0चौ0ब्यू0,हरियाणा,पंचकुला को भेजी गई । अन्तिम रिपोर्ट पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 61/29/2018-2 चौकसी- II दिनांक 11.10.2021 के अनुसार उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने बारे आदेश दिये गये । मुख्यालय रा0चौ0ब्यू0 हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक 17179/I-2/SVB(H) दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त हुए है । इस प्रकार तत्कालीन सरपंच बीर सिंह ने ग्राम पंचायत बजघेडा की खसरा नं0 36 कुल 10 एकड पंचायती भूमि बारे श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट की बगैर लिखित मांग,ट्रस्ट बारे कोई रिकार्ड न लेना, पंचायत रेजूलेशन की शर्तो व सरकार द्वारा निरधारित शर्तो का वसिका मे विवरण न देना, श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट के नाम पंचायती जमीन की रजिस्ट्री करा देना, निदेशक चकबन्दी हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा जारी जमीन के आदेशो के विरूध अपील न करना, पंचायत का प्रस्ताव नं0 1 दिनांक 24.10.2004 के अनुसार जमीन वापिस लेने के सम्बन्ध मे अपील दायर करने के लिये अधिकृत होने उपरान्त भी अपील दायर नहीं करना, श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन सरपंच श्री बीर सिंह के भाई श्री ऋषिकेश के नाम जमीन बेच देना तथा श्री ऋषिकेश द्वारा भी जमीन रजिस्ट्री से पहले वर्ष 2006 से जमीन की कीमत अनुसार विभिन्न बैंको के माध्यम से ट्रस्ट को भुगतान करना यह स्पष्ट करता है कि तत्कालीन सरपंच बीर सिंह पुत्र प्यारे लाल निवासी j-1084, Palam Vihar, Gurugram, श्री ऋषिरोश पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम बजघेडा, श्रीमती रेणुका मिश्रा ट्रस्टी व श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री जे0सी0 अग्रवाल ट्रस्टी श्री शंकर शिक्षा यतन ट्रस्ट 6/25 बसंत विहार नई दिल्ली ने आपस मे मिलीभगत करके एक षडयंत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बजघेडा, गुरूग्राम की जमीन को हडपने की नियत से इस कार्य को अंजाम देने पर धारा 420, 120 बी भा0द0स0 का अपराध किया है, जिनके विरूध धारा 420, 120बी0 भा0द0स0 के तहत अभियोग अकिंत करने के लिये मुकदमा की तहरीर वा जांच क्रमांक 6/2018/गुरूग्राम का रिकार्ड ई0एच0सी0 कुलदीप नं0

2355/गुरूग्राम के हाथ भेजी जा रही है । बाद मुकदमा दर्ज करवाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों व ईलाका मेजिस्ट्रेट की सेवा मे बिना देरी भिजवाई जावें व मिशल मुकदमा मय जांच 6/2018 /गुरूग्राम का रिकार्ड आगामी तफतीस हेतू निरीक्षक सुरेश कुमार रा0 चौ0 ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के हवाले किया जावें । SD निरीक्षक वीर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम । AT – 12:15 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त EHC कुलदीप न0 2355/गुरुग्राम के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक सुरेश कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC कुलदीप न0 2355/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 299GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1971				**Is pox pitted:** Yes
3	Female	01/01/1945				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1971				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)